7

मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 1990 (चैत्र 8, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विक्रम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1973 (क्रमांक 21 सन् 1973) की धारा 17 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल, का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987-88, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1983-84 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल नेपानगर का 42 वां वार्षिक विवरण एवं लेखा वर्ष 1988-89 पटल पर रखेंगे

(4) सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, विधान सभा सचिवालय सेवा भर्ती नियमों आदि के संबंध में श्री कैलाश जोशी के सभापतित्व में गठित विशिष्ट समिति का प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पटल पर रखेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) लाल राजेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य, पन्ना जिले की एम. पी. कारबाइड फैक्ट्री के श्रमिकों को वेतन न मिल पाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य, रीवा जिले की तमरादेश ग्राम पंचायत के प्रधान की डकैतों द्वारा हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्व श्री रामलखन शर्मा, जगदम्बा प्रसाद निगम सदस्य, सिरमौर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गौनहा में ददुआ गैंग द्वारा डकैती डाले जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री मोतीलाल वोरा, राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, रवीन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश के बस्तर एवं दुर्ग जिले में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री ललित जैन, उमराव सिंह, रायसिंह राठौर, सदस्य, इन्दौर, खरगौन आदि जिलों में मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप होने की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के कुड़ीला थानान्तर्गत हत्या एवं बलात्कार की अनेक घटनायें घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री पूरन सिंह पलैया, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा एवं भांडेर परगने के अनेक ग्रामों में सिंचाई सुविधा का अभाव होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री अशोक राव, सदस्य, बिलासपुर जिले के कनोई पेपर मिल से प्रदूषण फैलने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री रमनकुमार सिंह / चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले के कवर्धा के समीप भोरमदेव मंदिर से हुई मूर्ति चोरी की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री मनीष कुंजाम, सदस्य, बस्तर जिले की बीजापुर तहसील के अनेक क्षेत्रों के नक्सल-वादी गतिविधियों में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री मुरलीधर माहेश्वरी, सदस्य, होशंगाबाद जिले के बनखेड़ी विकास खण्ड अधिकारी द्वारा अनियमिततायें किये जाने की ओर पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, दुर्ग जिले के बालोद के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैध रूप से झुग्गियां तोड़े जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री बृजेन्द्र पाठक, सदस्य, सतना जिले के ग्राम गौरैया और अबेर में परीक्षा केन्द्र खोले जाने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री जगदम्बाप्रसाद निगम, गुलाब सिंह, शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, प्रदेश के साप्ताहिक पत्रों को प्रदर्शन विज्ञापन न मिल पाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री अर्जुनसिंह, राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, प्रदेश में उच्च स्तरीय सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री रामानन्द सिंह, सदस्य, सतना जिले के अनेक ग्रामों में डकैती की घटनायें होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम अन्तोरा में डकैती पड़ने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) सर्वश्री गोपाल भार्गव, चन्द्रशेखर साहू, तेजसिंह सेंधव, सदस्य, प्रदेश की प्राथमिक सहकारी समितियों के चुनाव निरस्त किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, कोटा विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों का अनावश्यक सर्वेक्षण करने से ग्रामवासियों को हो रही परेशानी की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बामसोली के पास डकैती पड़ने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य, होशंगाबाद जिले के डांगरबाड़ी कृषकों की फसलें नष्ट होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री दुलीचन्द जैन, सदस्य, मध्यप्रदेश शासन की खनिज उत्खनन भूमि पर राजस्थान सरकार द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री रामानन्द सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम कैलाशपुर में हुई डकैती की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 22 (सेवढ़ा) के सदस्य श्री महेन्द्र बौद्ध को मार्च, 1990 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य —

(क) जिला दुर्ग, विकासखण्ड गुण्डरदेही के ग्राम मोंगरी नाले पर स्टाप डेम कम रपटा निर्माण किये जाने के संबंध में 56 व्यक्तियों की,

(ख) जिला दुर्ग, विकासखण्ड गुण्डरदेही के ग्राम दनिया में पेयजल हेतु नलजल योजना लागू किये जाने के संबंध में 52 व्यक्तियों की;

(ग) जिला दुर्ग, विकासखण्ड गुण्डरदेही के ग्राम परसवानी में शासकीय नलकूप खनन कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में 88 व्यक्तियों की,

(घ) जिला दुर्ग, विकासखण्ड गुण्डरदेही के ग्राम रजोली में सिंचाई सुविधा हेतु 10 नलकूप खनन किये जाने के संबंध में 43 व्यक्तियों की,

(ङ) जिला दुर्ग, विकासखण्ड गुण्डरदेही के ग्राम रजोली में पशु औषधालय की स्थापना किये जाने के संबंध में 45 व्यक्तियों की,

(च) जिला दुर्ग, विकासखण्ड गुण्डरदेही के ग्राम भाठागांव (बी) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मोंगरी नाले पर बांध निर्माण किये जाने के संबंध में 40 व्यक्तियों की, तथा

(छ) जिला दुर्ग, विकासखण्ड गुण्डरदही के ग्राम लिमोरा तांदुला नदी में सिंचाई हेतु उद्वहन सिंचाई प्रारंभ किये जाने के संबंध में 66 व्यक्तियों की

याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री वासुदेव ठाकरे, सदस्य —

(क) मासौद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जामगांव (आठनेर) नदी पर बांध बनाये जाने के संबंध में 62 व्यक्तियों की; तथा

(ख) मासौद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाकुड़ नदी पर बांध बनाये जाने के संबंध में 24 व्यक्तियों की

याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री जागेश्वर साहू, सदस्य, जिला दुर्ग, विकासखण्ड गुण्डरदेही के 27 ग्रामों में शासकीय नलकूप खनन कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में 1701 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री पूरन सिंह पलैया, सदस्य, भाण्डेर-सरवई अधूरे मार्ग का निर्माण कराने के संबंध में 7 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, सदस्य, जिला दुर्ग के विकासखण्ड पाटन एवं गुण्डरदेही के 36 ग्रामों में नलकूप खनन कर उद्वहन सिंचाई योजना लागू करने के संबंध में 2562 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

5. नियम 130 के अधीन सामान्य लोक हित के विषय पर चर्चा

(12 बजे से 1 बजे तक) श्री अर्जुन सिंह, सदस्य वर्ष 1989-90 में संचालित तेन्दू पत्ता नीति को वर्ष 1990-91 में भी चालू रखे जाने एवं उसका लाभांश सहकारी समितियों के माध्यम से तेन्दू पत्ता तोड़ने वाले व्यक्तियों को वितरित किये जाने आदि के संबंध में पृथकतः वितरित प्रस्ताव पर चर्चा उठायेंगे.

6. वर्ष 1990-91 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:—

"दिनांक 1 अप्रैल, 1990 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष 1990-91 के एक भाग अर्थात्, दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल सत्रह अरब, छिहत्तर करोड़ पचासी लाख, चौदह हजार रुपये की धनराशि जो पृथकतः वितरित लेखानुदान की मांगों तथा विनियोगों की अनुसूची के स्तंभ 7 में दी गई राशियां स्तंभ दो में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिए सम्मिलित है, लेखानुदान के रूप में दी जावे."

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990 (क्रमांक 9 सन् 1990) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपालः
दिनांक 28 मार्च, 1990.